



दवियांग जनसंख्या को आपदा से बचाने की तैयारी

प्रलिस के लयि:

आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लयि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNDRR), आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लयि अंतरराष्टरीय दविस, दवियांग वयक्तयिों के अधकरीों पर अभसिमय, आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लयि सेंदरई फरेमवरक 2015-2030, भुकंप, ज्वालामुखी

मेन्स के लयि:

आपदा जोखमि न्यूनीकरण और प्रबंधन में दवियांगों की समावेशति को बढ़ावा देने की आवश्यकता ।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में कयों?

13 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतरराष्टरीय आपदा जोखमि न्यूनीकरण दविस से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखमि न्यूनीकरण कार्यालय (UNDRR) द्वारा हाल ही में जारी एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले दशक से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दवियांग वयक्तयिों की सुरक्षा के लयि सरकारी नीतयिों की प्रगतति में कमी आई है ।

UNDRR सर्वेक्षण के नषिकर्ष:

■ सर्वेक्षण के नषिकर्ष:

- 132 देशों के 6,000 उत्तरदाताओं को शामिल करते हुए वर्ष 2023 सर्वेक्षण से पता चलता है कि 84% दवियांग वयक्तयिों को नकिसी मार्गों, आश्रय घरों या वयक्तगत तैयारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, जबकि वर्ष 2013 में यह आंकड़ा 71% था ।
- वर्तमान में केवल 11% उत्तरदाता अपने स्थानीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन योजनाओं के बारे में जानते हैं, वर्ष 2013 में 17% से कम वयक्ति आपदा जोखमि जानकारी के बारे में जानते थे ।

■ दवियांग वयक्तयिों की चतिारें:

- आपदाओं के दौरान दवियांग वयक्ति को अधिक खतरा होता है, वैश्विक आबादी के लगभग 16% लोग दवियांग है और इनकी आपदाओं के दौरान मृत्यु होने की संभावना भी अधिक है ।
- समुदाय-स्तरीय आपदा योजना में भाग लेने में बढ़ती रुचिके बावजूद, 86% उत्तरदाताओं को अभी भी बहषिकृत महसूस होता है, जो समावेशन की आवश्यकता पर बल देते हैं ।

■ सर्वेक्षण के सुझाव:

- यह रिपोर्ट आपदाओं और असमानता के अंतरसंबंध पर ज़ोर देती है तथा सेवाओं तक असमान पहुँच से सर्वाधिक जोखमि वाले समूहों की भेद्यता बढ़ जाती है ।
- आपदा जोखमि न्यूनीकरण के लयि सेंदरई फरेमवरक 2015-2030 दवियांगता समावेशन, सुलभ आपदा जोखमि जानकारी और समावेशी प्रारंभिक चेतवनी प्रणाली का आह्वान करता है ।
- प्रारंभिक चेतवनी प्रणालयिों को सुदृढ़ करना महत्त्वपूर्ण है कयोंकि आधे देशों में इन तंत्रों का अभाव है और समय पर चेतवनी से नकिसी दर में काफी सुधार हो सकता है ।
- इन चुनौतयिों का समाधान करने और सामुदायिक आपदा जोखमि न्यूनीकरण योजना में दवियांग जनों का सार्थक समावेश सुनिश्चित करने के लयि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है ।

आपदा जोखमि न्यूनीकरण (2015-30) के लयि सेंदरई फरेमवरक:

■ परचिय:

- इसे जापान के सेंदरई में आपदा जोखमि न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र वशिव सम्मेलन, 2015 में अपनाया गया था ।
- वर्तमान रूपरेखा प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों के कारण छोटे और बड़े पैमाने पर तीव्र या धीमी गति से घटति होने वाली

आपदाओं के साथ-साथ संबंधित पर्यावरणीय एवं तकनीकी जैविक खतरों और जोखिमों पर लागू होती है।

- इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों के भीतर और बाहर विकास में आपदा जोखिम के बहु-जोखिम प्रबंधन का मार्गदर्शन करना है।
- यह **हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (HFA), 2005-2015: आपदाओं के प्रति राष्ट्रों और समुदायों की समुत्थानशक्ति के निर्माण'** का उत्तरोत्तर उपकरण है।



THE SENDAI FRAMEWORK OUTLINES SEVEN GLOBAL TARGETS TO BE ACHIEVED BY 2030:

SUBSTANTIAL REDUCTIONS

A. Reduce global disaster mortality



B. Reduce the number of affected people globally



C. Reduce direct economic loss in relation to GDP



D. Reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services



E. Increase the number of countries with national and local disaster risk reduction strategies



F. Substantially enhance international cooperation to developing countries



G. Increase the availability of and access to multi-hazard early warning systems



SUBSTANTIAL INCREASES

- चार प्राथमिक क्षेत्रों में की जाने वाली कार्रवाइयाँ:

- **आपदा जोखिम को समझना:**
 - प्रासंगिक डेटा और व्यावहारिक जानकारी के संग्रह, विश्लेषण, प्रबंधन एवं उपयोग को बढ़ावा देना तथा इसका प्रसार सुनिश्चित करना।
 - आपदा से होने वाले नुकसान का व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन करना, उसे रिकॉर्ड करना, साझा करना व सार्वजनिक रूप से हिसाब देना और इसके आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्यपरक, शैक्षिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों को समझना।
- **आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु आपदा जोखिम प्रशासन का सुदृढ़ीकरण:**
 - स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर चिह्नित जोखिमों से निपटने के लिये तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता का आकलन करना।
 - क्षेत्रीय कानूनों और वनियमों के मौजूदा सुरक्षा-बढ़ाने वाले प्रावधानों के उच्च स्तर के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक तंत्र एवं प्रोत्साहन की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- **समुत्थानशक्ति के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण में नविश:**
 - सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों, नीतियों, योजनाओं, कानूनों तथा वनियमों के विकास और कार्यान्वयन के लिये प्रशासन के सभी स्तरों पर वित्त एवं रसद सहित आवश्यक संसाधनों को उचित रूप से आवंटित करना।
- **पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण:**
 - बचाव और राहत कार्यों को लागू करने के लिये लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना तथा आवश्यक सामग्रियों के भंडारण के लिये सामुदायिक केंद्र की स्थापना।
 - मौजूदा कार्यबल और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को आपदा प्रतिक्रिया के बारे में प्रशिक्षण करना तथा आपदा की स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी व तार्किक क्षमताओं में वृद्धि करना।

द्वियांगजनों के सशक्तीकरण के लिये पहलें:

■ वैश्विक स्तर पर:

- **द्वियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय:**
 - **PwD के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय** (UN Convention on the Rights of PwD- UNCRPD) को वर्ष 2006 में अपनाया गया था, यह द्वियांगजनों को ऐसे लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अथवा संवेदी दुर्बलताओं से ग्रस्त हैं और अपनी विशेष सीमाताओं के कारण अन्य लोगों की तुलना में समाज में समान भागीदारी करने में सक्षम नहीं हैं।
 - भारत ने वर्ष 2007 में इस अभिसमय की पुष्टि की।
 - भारतीय संसद ने UNCRPD के तहत दायित्वों को पूरा करने की दृष्टि से द्वियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को अधिनियमित किया।

■ भारत द्वारा किये गए प्रयास:

- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - **राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांतों** (Directive Principles of State Policy- DPSP) के अनुच्छेद 41 में वर्णित है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास को ध्यान में रखते हुए कार्य करने, शिक्षा पाने और बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी व द्वियांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार सुरक्षित करने के लिये प्रभावी प्रावधान लागू करेगा।
 - संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में 'द्वियांगजनों और बेरोज़गारों के लिये राहत' का विषय नरिदिष्ट है।
- **द्वियांगजनों के लिये कानून:**
 - द्वियांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को द्वियांगजनों का अधिकार अधिनियम, 2016 से प्रतिस्थापित किया गया है।
 - द्वियांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इस अधिनियम में मानसिक बीमारी, ऑटिज़्म, स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्युलर डस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, बोलने में असमर्थता (जिसमें व्यक्तियों के बोलने की क्षमता और भाषा का कौशल दोनों प्रभावित हों), **थैलेसीमिया**, **हीमोफिलिया**, **सकिल सेल रोग**, **डेफबलाइंडनेस**, **एसडि अटैक पीडितों और पारकसिंस रोग** सहित कई द्वियांगताएँ शामिल की गई हैं। ये कुछ ऐसी द्वियांगताएँ हैं जिन्हें पहले के अधिनियम में नज़रअंदाज कर दिया गया था।
 - यह द्वियांगता से पीडित लोगों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% और उच्च शिक्षा संस्थानों में 3% से बढ़ाकर 5% कर देता है।
 - 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क द्वियांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा।
- **सुगम्य भारत अभियान (PwD के लिये सुगम्य वातावरण का निर्माण):**
 - सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने के लिये यह सार्वभौमिक राष्ट्रव्यापी अभियान द्वियांग लोगों को समान अवसर, स्वतंत्र रूप से जीने और समाज के सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से शामिल होने की क्षमता प्रदान करेगा।
 - अभियान का लक्ष्य द्वियांगों तक पर्यावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारस्थितिकी तंत्र की पहुँच को बढ़ाना है।

??????:

प्रश्न. भारत सरकार द्वारा पहले के प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से हटकर आपदा प्रबंधन हेतु शुरू किये गए हालिया उपायों की चर्चा कीजिये। (2020)

प्रश्न. आपदा प्रभावों और लोगों के लिये उसके खतरे को परभाषित करने के लिये भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रतभेद्यता का कसि प्रकार और कनि-कनि तरीकों के साथ चरतिर-चतिरण कयि जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के वभिनिन प्रकारों पर चर्चा कीजिये। (2019)

प्रश्न. भारत में आपदा जोखमि न्यूनीकरण (डी.आर.आर.) के लिये 'सॅदाई' आपदा जोखमि न्यूनीकरण प्रारूप (2015-30)' हसताक्षरति करने से पूरव एवं उसके पश्चात कयि गए वभिनिन उपायों का वरणन कीजिये। यह प्रारूप 'हयोगो कारयवाई प्रारूप, 2005' से कसि प्रकार भनिन है?(2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/disabled-population-and-disaster-preparedness>

